न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

मि0न0 — 82/

अनवान : —

1. दारासिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी हाल दलपतपुरा त0 नोहर ।

— प्रार्थी

बनाम

1. मनीराम पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी हाल दलपतपुरा त0 नोहर ।
2. शान्ति पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी हाल दलपतपुरा त0 नोहर।
3. सब रजिस्ट्रार भादरा त0 भादरा।

—अप्रार्थीगण

प्रा.पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

श्री कपूरचंद शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
श्री कृष्ण गर्ग अधिवक्ता अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि प्रार्थी ने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना—पत्र अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आशय से पेश किया है कि रोही मौजा चक 10 एसडीआर के खाता सं0 66/64 के मु0न0 43, 44, 45, 58, 59, 60, 62, 63 की कुल 18.2160 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त मुश्तर्का खातेदारी है। उक्त विवादित भूमि में प्रार्थी के 197/18216 हिस्सा के साथ—साथ अप्रार्थी सं0 1 का 937/6072 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं0 2 का 197/18216 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा दावा में दर्ज अन्य प्रतिवादीगण का हिस्सा भी मुताबिक राजस्व रिकार्ड दर्ज है। ऐसे में अप्रार्थीगण के खिलाफ ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे वादभूमि को रहन, बैय का दीगर तरीके से हस्तान्तरण नही करें तथा मौका रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अधिवक्ता प्रार्थी की प्रारम्भिक बहस सुनी जाकर दिनांक 19.12.2023 को न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल उपरान्त अप्रार्थीगण ने जबाब दावा पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.24 17:46:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि उपरोक्त विवादित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के साथ–साथ दावा में दर्ज पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी है। वाद भूमि पैतृक आय से अर्जित भूमि है। अप्रार्थीगण सं0 1–2 की उम्र अत्यधिक होने के कारण दिखाई नहीं देता है, ना ही सुनाई देता है। अप्रार्थीगण सं0 1–2 अकसर बीमार रहते है। अप्रार्थीगण सं0 1–2 के हिस्से की भूमि को दावा में दर्ज प्रतिवादी सं0 3–4 काश्त करते है तथा वाद भूमि जो अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसे किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय करवाकर अच्छी किस्म पर कायम करवाना चाहते है तथा वाद भूमि को खुर्द–बुर्द करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण की उम्र अत्यधिक होने तथा उनके शारीरिक असमर्थता के कारण अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबन्द किया जावें कि वे ताफैसला वाद वादभूमि की यथास्थिति बनायें रखे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जबाब को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने उक्त विवादित भूमि को पैतृक होना गलत बताया है अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बैयनामा से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि अप्रार्थीगण की स्व अर्जित भूमि है।अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने 2018 (1) आरआरटी 405, 2016 आरआरटी 113 नजीर पेश करते हुए कथन किया कि प्रार्थी स्वंय विवादित भूमि को सहखातेदार है। प्रार्थी को दूसरे सह खातेदारों के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई कानूनन अधिकार नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 ने जरिये बैयनामा दिनांक 27.10.1983, 15.11.1983 एवं 16.02.1984 से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम विवादित भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया था। प्रार्थी के पास आय का कोई स्त्रौत नहीं था। अतः उक्त विवादित भूमि अप्रार्थी की स्वयं पैदाकृत संपति है। जिसमें प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारीज किये जाने का निवेदन है।

बहस अभिभाषक उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं न्यायायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट 1955 पर आदेश पारित करने से पहले राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में वर्णित तीन बिन्दूओं यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर विवेचन करना आवश्यक है। प्रस्तुत प्र[illegible]में प्रार्थी ने विवादित भूमि रोही मौजा चक 10 एसडीआर के खाता सं0 66/64 के [illegible] 43, 44, 45, 58, 59, 60, 62, 63 की कुल 18.2160 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त मुश्तर्का खातेदारी है। उक्त विवादित भूमि में प्रार्थी के 197/18216 हिस्सा के साथ–साथ अप्रार्थी सं0 1 का 937/6072 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं0 2 का 197/18216 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.24 17:46:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज है में ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है, इस हेतु प्रार्थना पत्र प्रार्थी एवं जबाब अप्रार्थीगण तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु तय किये जाने है।

1. **प्रथम दृष्टया मामला :–** उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी को प्रार्थी स्वयं ने स्व अर्जित संपति होना स्वीकार किया है तथा साथ–साथ में संयुक्त परिवार की आय से खरीद होना बताया है। प्रस्तुत दस्तावेजात से वाद भूमि प्रार्थी के साथ–साथ अप्रार्थीगण की स्वअर्जित संपति है। चूंकि पक्षकारान के मध्य अन्तर्गत धारा ९९–१९९ आरटीए नियमित वाद न्यायालय में जैरकार है। जिसम जवाबदावा आने के बाद प्रार्थी के हक हिस्सा का निर्धारण साक्ष्य व सहादत एवं तनकीयात पर होना शेष है। प्रथम दृष्टतया अप्रार्थीगण पंजीकृत बैयनामा के आधार पर विवादित भूमि के सह खातेदार होना साबित है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्व एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।
2. **सुविधा का संतुलन** – उक्त विवादित भूमि में प्रार्थी के साथ साथ अप्रार्थीगण सह खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किसी खातेदार द्वारा सहखातेदार को अपने हक हिस्सा से वंचित करने के लिए पाबन्द नहीं किया जा सकता। अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को अपनी खरीदशुदा भूमि के नियमित उपयोग उपभोग में परेशानीयों का सामना करने के कारण सुविधा का संतुलन बिन्दू प्रार्थी के विरूद्व व अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।
3. **अपूर्णिय क्षति :–** विवादित भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी का नियमित उपयोग उपभोग नहीं करने के कारण अपूर्णीय क्षति बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्व एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

अतः उपरोक्त विवेचानुसार एवं तीनों आधारभूत बिन्दुओं के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट साबित नहीं होने के कारण खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24-05-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.24 17:46:03 IST
Reason: SelfAttested

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner